भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2932
13.08.2026 को उत्तर के लिए

झारखंड और गुजरात में गलियारों का पुनर्स्थापन

2932. श्री परिमल नथवानीः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) झारखंड में हाथी गलियारों तथा गुजरात में सिंह और तेंदुए के आवागमन गलियारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दोनों राज्यों में जीपीएस कॉलर, ड्रोन अथवा एआई-सक्षम प्रौद्योगिकियों के माध्यम से कोई वैज्ञानिक निगरानी की जा रही है;

(ग) दोनों राज्यों में विगत पाँच वर्षों के दौरान स्वीकृत की गई गलियारा पुनर्स्थापन परियोजनाओं की संख्या कितनी है; और

(घ) तत्संबंधी क्या परिणाम रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्य वन विभागों के समन्वय से झारखंड सहित 15 हाथी बहुल राज्यों में 150 हाथी गलियारों की पहचान और सत्यापन किया है तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इन हाथी गलियारों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। झारखंड राज्य में चिन्हित और सत्यापित किए गए हाथी गलियारों का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

अध्ययनों से पता चला है कि शेर पूरे इलाके में विचरण करते समय प्राकृतिक एवं अर्द्ध-प्राकृतिक पर्यावासों का उपयोग आवागमन गलियारों के रूप में करते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, 11 प्रमुख शेर गलियारों की पहचान की गई है, जो **अनुलग्नक-II** में दिया गया है। पर्यावास के ऐसे जुड़े हुए क्षेत्रों ने शेरों को गिर इलाके से आगे बढ़ने और

मितियाला, पनिया और गिरनार जैसे संरक्षित क्षेत्रों में बसने में सुविधा प्रदान की है। विशेष रूप से उपयुक्त पर्यावासों के बीच आवागमन और विसरण के लिए तेंदुए भी बाघ, शेर और हाथी जैसे अन्य बड़े स्तनधारियों के लिए चिन्हित एवं सुरक्षित किए गए वन्यजीव गलियारों का उपयोग करते हैं।

(ख) वन्यजीवों का संरक्षण और प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की जिम्मेदारी है। झारखंड सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्तमान में जीपीएस कॉलर का उपयोग करके कोई निगरानी नहीं की जा रही है। हालांकि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से निगरानी और ड्रोन आधारित निगरानी शुरू की जा चुकी है।

(ग) एवं (घ) केंद्र सरकार, वन्यजीव पर्यावास के एकीकृत विकास (आईडीडब्ल्यूएच) की केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें बाघ एवं हाथी परियोजना एवं वन्यजीव पर्यावास विकास (सीएसएस-पीटीएंडई और डीडब्ल्यूएच) के घटक शामिल हैं। इसका उद्देश्य हाथियों, शेरों और तेंदुओं, उनके पर्यावासों और गलियारों का संरक्षण करना, मानव-वन्यजीव संघर्ष का समाधान करना और देश में बंदी हाथियों का कल्याण सुनिश्चित करना है। गलियारों सहित वन्यजीव पर्यावासों में बहाली का कार्य, लागू वैधानिक वन्यजीव प्रबंधन योजना या बाघ संरक्षण योजना के अनुसार किया जाता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान झारखंड राज्य को सीएसएस-पीटीएंडई और सीएसएस-डीडब्ल्यूएच के अंतर्गत जारी की गई धनराशि का विवरण **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) के सहयोग से मानव-हाथी संघर्ष के लिए क्षेत्रीय कार्य योजनाओं (आरएपी) की तैयारी शुरू कर दी है। इन योजनाओं में भू-भाग स्तर और बहु-राज्यीय दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें झारखंड राज्य सहित पूर्वी मध्य हाथी भू-भाग भी शामिल है। आरएपी को पांच वर्षीय कार्य योजना के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसमें पर्यावास प्रबंधन, क्षमता निर्माण, निगरानी और संघर्ष निवारण उपायों सहित वार्षिक कार्यान्वयन लक्ष्य शामिल हैं।

अनुलग्नक-I

'झारखंड और गुजरात में गलियारों का पुनर्स्थापन' के संबंध में श्री नथवानी परिमल द्वारा दिनांक 13.08.2026 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2932 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

चिह्नित एवं स्थलीय रूप से सत्यापित हाथी गलियारे

क्र. सं.	**गलियारा**	**राज्य**
1.	भागबिल्ला - रत्नासाई गलियारा	झारखंड
2.	जामपानी - भागबिला गलियारा	झारखंड
3.	सांगाजाता - हल्दीपोखर गलियारा	झारखंड
4.	लेपांग - डुमुरिया गलियारा	झारखंड
5.	अंकुआ - अंबिया गलियारा	झारखंड
6.	रायबेरा - पुलबाबुरु गलियारा	झारखंड
7.	डालापानी - सुकलारा गलियारा	झारखंड
8.	दलमा - चांडिल गलियारा	झारखंड
9.	डुमरिया - नयाग्राम गलियारा	झारखंड
10.	सिल्ली - अंगारा	झारखंड
11.	भरनो - बेरो - कारा / सिसई- कर्रा	झारखंड
12.	डलमा- आसनबानी	झारखंड
13.	डलमा- रूगई	झारखंड
14.	सियालजोरा - धोबाधोबिन गलियारा	झारखंड
15.	डालापानी - कांकराझोर गलियारा	झारखंड और पश्चिम बंगाल
16.	अंजदबेरा-बिचाबुरु	झारखंड
17.	डुमरिया-कुंडलुका और मुरकांजिया	झारखंड

अनुलग्नक-II

'झारखंड और गुजरात में गलियारों का पुनर्स्थापन' के संबंध में श्री नथवानी परिमल द्वारा दिनांक 13.08.2026 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2932 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

शेर गलियारे

क्र. सं.	गलियारा	राज्य
1.	गिर - गिरनार वन्यजीव अभयारण्य	गुजरात
2.	गिर वेरावल - सूत्रपद गलियारा	गुजरात
3.	गिर - कोडिनार गलियारा	गुजरात
4.	गिर राजुला गलियारा	गुजरात
5.	गिर मिटियाला पालिताना गलियारा	गुजरात
6.	गिर शेत्रुंजी गलियारा	गुजरात
7.	पालिताना महुआ गलियारा	गुजरात
8.	पालिताना भावनगर गलियारा	गुजरात
9.	शेत्रुंजी हिंगोलगढ़ गलियारा	गुजरात
10.	हिंगोलगढ़ से रामपारा गलियारा	गुजरात
11.	गिर बर्दा गलियारा	गुजरात
12.	गिर - गिरनार वन्यजीव अभयारण्य	गुजरात
13.	गिर वेरावल - सूत्रपद गलियारा	गुजरात

अनुलग्नक-III

'झारखंड और गुजरात में गलियारों का पुनर्स्थापन' के संबंध में श्री नथवानी परिमल द्वारा दिनांक 13.08.2026 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2932 के भाग (ग) एवं (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

पिछले पांच वर्षों के दौरान सीएसएस-'वन्यजीव पर्यावासों के विकास' के तहत गुजरात और झारखंड राज्य सरकारों को जारी निधि का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
1	गुजरात	0	200.01	206.99	801.58248	371.54061
2	झारखंड	79.53315	0	14.91025	71.93619	4.818

पिछले पांच वर्षों के दौरान सीएसएस- 'बाघ और हाथी परियोजना' के तहत झारखंड राज्य की सरकार को जारी निधि का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24***	**2024-25**	**2025-26**
1	झारखंड	86.682	78.05	405.785	727.556	216.01

*केंद्र प्रायोजित योजना हाथी परियोजना और केंद्र प्रायोजित योजना बाघ परियोजना को मिला दिया गया है और अब इसे केंद्र प्रायोजित योजना बाघ और हाथी परियोजना के नाम से जाना जाता है